रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1042] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2017/चैत्र 23, 1939
No. 1042] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2017/CHAITRA 23, 1939

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2017

का.आ.1174 (अ).— भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 3328 (अ) तारीख 7 दिसम्बर, 2015, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में किन्हीं व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर $14^0$43' 12" और उत्तर अक्षांश $14^0$28' 12" और पूर्व 78^0 48' 00" और पूर्व देशान्तर 79° 01' 48" के बीच स्थित कडुपा ज़िले के दक्षिण पहाड़ियों में लंकामलाई की पहाड़ी श्रृंखलाओं में आंध्र प्रदेश राज्य के कडुपा ज़िले कडुपा और प्रोदोतूर वन प्रभाग में स्थित है और लंकामल्ला आरक्षित वन वन्यजीव अभयारण्य गठित करता है तथा अभयारण्य का कुल क्षेत्र 464.42 वर्ग किलोमीटर है| जो कि कडापा वन प्रभाग के अंतर्गत 263.92 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और प्रोदोत्तर वन प्रभाग के अंतर्गत 200.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है;

और, श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य अधिकांश संकटापन्न के लिए सिर्फ एक केंद्र है और जेर्डोन डबल बैंडिज कोउरसर (*कर्सरियस बिटरक्राटस*) (*कालीवी कोडी*), विश्व में न्यूनतम ज्ञात पक्षी है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थानिक है और अभयारण्य में *पेंथेरा पार्डस* (तेंदुआ) (चिरुता पुली), *रुसा यूनिकोलर* (सांभर) (कानिथी), *एक्सिस एक्सिस* (चीतल या चित्तीदार हिरण) (डुप्पी), *कुओनलपिनस* (जंगली कुत्ता या ढोल) (रेच्कु कूका), *टेट्रासरोस क्राडट्रॉमिस* (चौसींगा मृग) (चोऊसींगा) (कोंडा गोरे) और अनेक सरीसृप और पक्षी प्रजातियां भी बसी हुई है ;

और, क्षेत्र में अत्यंत प्रचुर प्राणीजातीय एवं वनस्पतीय विविधता है और रेड सेंडरस (*पीटरोकारपस संटालीनस*) (*रेड सॉन्डर्स*) (*एररा चंदानमू*) की बृहत् जीवसंख्या, जो इस क्षेत्र में स्थानीय है ;

और, श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में मुख्यतः दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती विविध प्रकार 5ए/सी3 जैसा पीटरोकरपस संटालीनस (*रेड सॉन्डर्स*) (*एररा चंदानमू*), अनोगेइसस स्पा. (*चीइरुमनु*), कैरीस्सा कैरानडस (*कालीमी चेत्तु*), जीजयफस

एक्सलोफाइसेस (*गोटी*), डोडोनाइया बीसकोसा (*बांदेडू*), मैटनस इमरगीनाटा, डियोफाइरोस कालोरोएक्सलोन (*उलींटा*), हार्डविकीया बीनाटा (*येपी*), टारेना एशियाटिका (*कुप्पी पुव्वा*) और डियोफाइरोस फेररिया (*चिन्ना उल्लिंथा*) इस तरह की चैंपियन और सेठ वर्गीकरण में प्रजातियां पाई जाती है;

और, अभयारण्य में जलग्रहण के लिए मुख्य जल निकास का रुप है जो संपूर्ण रिजर्व के ऊपर बहुसंख्यक धारा प्रवाहित होकर पेन्नार नदी से जोड़ती है और अभयारण्य में ऐतिहासिक समय के दौरान बने अनेक सदानीर जल स्त्रोत और मानव निर्मित टैंक भी है ;

और, श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक क्षेत्र का है और इसमें कडुपा जिले के 16 ग्राम सम्मिलित हैं | पारिस्थितिक संवेदी जोन का कुल क्षेत्र 338 वर्ग किलोमीटर है ।

(2) इस अधिसूचना में पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थित ग्रामों की सूची इसके निर्देशांकों के साथ **उपाबंध I** में दी गई है ।

(3) इस अधिसूचना में अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का मानचित्र **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी । आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा |

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी |

(3) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन और वन्यजीव ;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग ।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का मानचित्रों के साथ अभ्यकंन करेगी और योजना को मानचित्रों में दिए गए विद्यमान तथा प्रस्तावित भूमि उपयोग सुविधाओं के विवरण द्वारा समर्थित किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय पारिस्थितकीय जोन में विकास को विनियिमत करेगी जिससे समुदायों की जीवकोपार्जन की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास का सुनिश्चय किया जा सके ।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

(ख) परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के से और यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, अनुज्ञात किया जा सकेगा, जैसे:-

i. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

ii. बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

iii. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

iv. कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो ग्रह वास; और

v. संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

(ग) परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

(ड.) परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

(च) अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत –**आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों और चैनलों के जल ग्रहण क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित किए जाएंगे |

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) होटलों और रिसोर्टों का नया संनिर्माण वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे, पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी ।;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांतों के तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मानक और विनियम कार्यान्वित करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा तथा पर्यावरण की सरंक्षण के लिए मानक ओर अधिक कठोर बनाये जा सकते हैं।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा-

(क) (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् या प्रकाशन को, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में केवल गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो । इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण निम्नानुसार होगा-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(18) यदि यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों विनिर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची –

पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर

		की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की देशी आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा । हरित या श्वेत कृषि आधारित लघु उद्योगों सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण के रूप में वर्गीकृत उद्योगों को नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित प्रवाह के निर्वहन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	कंपनियों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन ।	संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार, इनमें से जो भी नजदीक हो, से 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को सिवाए पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु, 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देश के अनुरुप होंगे ।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार, इनमें से जो भी नजदीक हो, से 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा : परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखा जाएगा । (ख) एक किलोमीटर से परे इसकों आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय सामग्री से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या

		कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
11.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	इलैक्ट्रिकल और संचार सूचना टावरों को लगाना तथा विद्युत लाइनों को बिछाना और अन्य अवसंरचना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल डालने का संवर्धन किया जाए ।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिस्राव का निस्सारण विनियमित होंगे ।
22.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग A	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग \|	बायो गैस, सोलर लाइट आदि को बढ़ावा दिया जाए \|

34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, तीन साल की अवधि के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i)	जिला कलक्टर, कडप्पा	अध्यक्ष;
(ii)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(iv)	क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	सदस्य;
(v)	नगरपालिका आयुक्त अथवा उसका प्रतिनिधि, कडुपा शहर	सदस्य;
(vi)	प्रभागीय वन अधिकारी, प्रोदोत्तर वन्यजीव प्रभाग	सदस्य;
(vii)	पर्यावरण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	सदस्य-सचिव/राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य	सदस्य;
(ix)	शहरी विकास विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(x)	उप वन संरक्षक/प्रभागीय वन अधिकारी, कडप्पा प्रभाग	सदस्य-सचिव।

IndiaCode

6. <u>निर्देश शर्तें</u>

(1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(2) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/8/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0-1 कि.मी. त्रिज्या के बीच स्थित ग्रामों और शहरी निवास/व्यवस्था की सूची

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर	ग्राम के नाम
1	14.66740	79.02466	कोथुरु
2	14.66885	78.99359	कोथाचेरुवु
3	14.49514	79.06058	इगुवापल्ली
4	14.49202	79.05880	कृशनायगरिपाल
5	14.48459	79.06300	बयाक्कागरीपल्ली
6	14.46406	79.07021	दिगुवाचानदुवायी
7	14.45962	79.02784	वेलुगुपल्ली
8	14.46787	78.96799	सिद्दावातम
9	14.46913	78.98217	कम्मापालेम
10	14.46717	78.99601	जनगालापल्ली
11	14.47115	78.94943	राजमपेटा
12	14.49836	78.90694	गोल्लापल्ली
13	14.50488	78.90204	छेलामरेड्डीपाल
14	14.58652	78.81198	चीनी कारखाना
15	14.64296	78.79814	नगपाटनाम
16	14.72223	78.94585	अगरहाराम

उपाबंध II

श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0-1 कि.मी. त्रिज्या के जी. पी. एस. निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र



श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0-1 कि.मी. त्रिज्या के निर्देशांक

IndiaCode

क्र. सं.	मुख्य ग्राम	डिग्री/मिनट/सेकेण्ड/अक्षांश	डिग्री/मिनट/सेकेण्ड/देशांतर
1.	कोथुरु	14 40 2	79 1 28
2.	कोथाचेरुवु	14 40 7	78 59 36
3.	इगुवापल्ली	14 29 42	79 3 38
4.	कृशनायगरिपाल	14 29 31	79 3 31
5.	बयाक्कागरीपल्ली	14 29 4	79 3 46
6.	दिगुवाचानदुवायी	14 27 50	79 4 12
7.	वेलुगुपल्ली	14 27 34	79 1 40
8.	सिद्दावातम	14 28 4	78 58 4
9.	कम्मापालेम	14 28 8	78 58 55
10.	जनगालापल्ली	14 28 1	78 59 45
11.	राजमपेटा	14 28 16	78 56 57
12.	गोल्लापल्ली	14 29 54	78 54 24
13.	छेलामरेड्डीपाल	14 30 17	78 54 7
14.	चीनी कारखाना	14 35 11	78 48 43
15.	नगपाटनाम	14 38 34	78 47 53
16.	अगरहाराम	14 43 20	78 56 45
17.	सब बावी वॉच टॉवर	14 30 32	78 59 25
18.	कपथिसवाड़ा कोना	14 28 59	78 59 18

19.	गुंडल बांदा	14 31 14	78 56 37
20.	लॉरी बाटा वॉच टॉवर	14 30 35	79 00 54
21.	गोपालस स्वामी मंदिर	14 33 54	79 59 1
22.	पाथिवानी बावी	14 36 46	78 59 15
23.	श्रीलंकामालेश्वर मंदिर	14 37 4	78 56 14
24.	उता बावल	14 35 32	79 00 5

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2017

S.O.1174(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3328 (E), dated the 7th December 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary is located in the Kadapa District of Andhra Pradesh State being the hill ranges of Lankamallai in the Deccan Plateau of Kadapa District, situated in between 14^0 43' 12" North and 14^0 28' 12" North Latitudes, 78^0 48' 00" East and 79° 01' 48" East Longitudes and the Lankamalla Reserve Forest constitute the wildlife Sanctuary and the total area of the Sanctuary is 464.42 sq.uare kilometres of which an area of 263.92 sq. km. falls in Kadapa Forest Division and an area of 200.50 sq. km. falls in Prodattur Forest Division;

AND WHEREAS, the Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary is the only home for one of the most endangered and least known birds in the World, the Jerdon's Double Banded Courser (*Cursorius bitorquatus*) (Kalivi Kodi), which is endemic to the State of Andhra Pradesh and the Sanctuary is also inhabited by *Panthera Pardus* (Leopard) (Chiruta puli), *Rusa unicolor* (Sambar) (Kanithi), *Axis Axis* (Cheetal or Spotted Deer) (Duppi), *Cuonalpinus* (Wild Dog or Dhole) (Rechu kukka), *Tetraceros quadricomis* (Four Horned Antilope) (Chousingha) (Konda Gorre) and many reptilian and bird species;

AND WHEREAS, the area has very rich Faunal and Floral diversity and has the largest population of Red Sanders (P*terocarpus santallinus) (Red Saunders)(Erra Chandanamu)* which is endemic to the region;

AND WHEREAS, the Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary has mostly Southern Tropical dry deciduous Miscellaneous Type 5A/C3 as per Champion and Seth classification having species such as *Pterocarpus santallinus (Red Saunders) (Erra Chandanamu),* Anogeissus sp.,(Chiirumanu) *Carrissa carrandas (Kalimi Chettu), Zizyphus xylophyros (Gotti), Dodonaea viscosa (Bandedu), Maytenus emerginata, Diospyros chloroxylon (Ullinta), Hardwickia binate (Yepi), Tarenna asiatica (Kuppi Puvvu),* and *Diospyros ferrea (Chinna Ullintha)*;

AND WHEREAS, numerous streams flowing over the entire reserve join river Pennar which forms the main drainage for the catchments in the Sanctuary and that the Sanctuary has many perennial springs and manmade tanks constructed during historical times;.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processed in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of one kilometre from the boundary of Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary in the State of Andhra Pradesh, as the Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The extent of Eco-sensitive Zone is one kilometre from the boundary of Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary and includes 16 villages in Kadapa District and the Eco-sensitive Zone area is 338 square kilometers.

(2) The list of villages along with their coordinates of the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-I** of this notification.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended notification as **Annexure II** of this notification.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj ;
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

IndiaCode

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**

The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse:

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant state laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities and given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant state laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the correction of error referred in the above promise shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-**

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km

from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel or resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) (i) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time.

(ii) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b)No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste: Bio medical waste management shall be as under:-

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco- sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management: The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management: The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste: The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic: The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is

prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution: The prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units: (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board, unless so specified in this notification and the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under.-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04 August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21 April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of new industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board Classification including agro-based small scale industries, will be regulated as per regulations.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
	B. Regulated Activities	

8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Setting up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and	Regulated under applicable law.

	ground water.	
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
36.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee:- The Central Government may constitute a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, consistency of the following presence:-

(i)	District Collector, Kadappa	-	Chairman.
(ii)	One representative of Non-Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for three years	-	Member.
(iii)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for three years	–	Member.
(iv)	Regional Officer, State Pollution Control Board	–	Member.
(v)	Municipal Commissioner or his representative of Kadappa Town	–	Member.
(vi)	The Divisional Forest Officer, Proddatur Wildlife Division	–	Member.
(vii)	Representative of the Department Of Environment, Government of Andhra Pradesh	–	Member.
(viii)	Member-Secretary/Member of the State Biodiversity Board	–	Member
(ix)	Representative of the Department Of Urban Development, Government of Andhra Pradesh	–	Member.
(x)	Deputy Conservator of Forests/ Divisional Forest Officer, Kadappa Division	–	Member Secretary.

6. Terms of Reference:

(1) The tenure of monitoring committee shall be for three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph

4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/08/2015-ESZ-RE]
LALIT KAPUR, Scientist 'G'

IndiaCode

Annexure I

List of Villages falling within the proposed Eco sensitive Zone

List of villages and Urban habitations / Settlements located between 0-1 Km radius from the boundary of Sri Lankamalleswara Widlife Sanctuary

Sl.No	Lat	Long	Village Name
1	14.66740	79.02466	Kothuru
2	14.66885	78.99359	Kothacheruvu
3	14.49514	79.06058	Eguvapalli
4	14.49202	79.05880	Krishnayagaripal
5	14.48459	79.06300	Bayakkagaripalli
6	14.46406	79.07021	Diguvachanduvayi
7	14.45962	79.02784	Velugupalli
8	14.46787	78.96799	Siddavatam
9	14.46913	78.98217	Kammapalem
10	14.46717	78.99601	Jangalapalli
11	14.47115	78.94943	Rajampeta
12	14.49836	78.90694	Gollapalli
13	14.50488	78.90204	Chelamareddypall
14	14.58652	78.81198	Sugar Factory
15	14.64296	78.79814	Nagapatnam
16	14.72223	78.94585	Agraharam

Annexure II

Map showing the boundaries of the Eco-sensitive Zone along with coordinates along with GPS Co-ordinates of 0-1 Km radius from the Boundary of Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary



Co-ordinates of 0-1 Kilo meter radius from the boundary of Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary

S.No.	Prominent feature	Degree/minutes/second Latitude	Degree/minutes/second Longitude
1.	Kothuru	14 40 2	79 1 28
2.	Kothacheruvu	14 40 7	78 59 36
3.	Eguvapalli	14 29 42	79 3 38
4.	Krishnayagaripal	14 29 31	79 3 31
5.	Bayakkagaripalli	14 29 4	79 3 46
6.	Diguvachanduvayi	14 27 50	79 4 12
7.	Velugupalli	14 27 34	79 1 40
8.	Siddavatam	14 28 4	78 58 4
9.	Kammapalem	14 28 8	78 58 55
10.	Jangalapalli	14 28 1	78 59 45
11.	Rajampeta	14 28 16	78 56 57
12.	Gollapalli	14 29 54	78 54 24
13.	Chelamareddypall	14 30 17	78 54 7
14.	Sugar Factory	14 35 11	78 48 43
15.	Nagapatnam	14 38 34	78 47 53
16.	Agraharam	14 43 20	78 56 45
17.	Sab Bavi Watch Tower	14 30 32	78 59 25
18.	Kaparthiswara Kona	14 28 59	78 59 18
19.	Gundala Banda	14 31 14	78 56 37
20.	Lorry bata Watch Tower	14 30 35	79 00 54
21.	Gopalass Swamy Temple	14 33 54	79 59 1
22.	Pathivani Bavi	14 36 46	78 59 15
23.	Lankamalleswara Temple	14 37 4	78 56 14
24.	Uta Bavl	14 35 32	79 00 5

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.04.19 22:59:37 +05'30'